यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग के माह 05/2015 से 04/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री ललित थपलियाल व श्री सूर्य पाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 30.05.2017 से 02.06.2017 तक श्री पी.सी.श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री टी.एस.नेगी व श्री ललित थपलियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री सूर्य पाल, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 06.05.2015 से 20.05.2015 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 02/2013 से 04/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः जिला, रुद्रप्रयाग

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	-	-	125.04	115.98	44.13	43.30	-	-
2015-16	-	-	135.00	125.19	38.28	37.53	-	-
2016-17	-	-	190.75	149.70	39.96	38.08	-	-
2017-18 (04/17 तक)	-	-	65.40	24.13	10.80	00		

(ब) **Autonomous Bodies** की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरणः शून्य

इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई श्रेणी 'सी' की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

मुख्य सचिव/अध्यक्ष राजस्व परिषद्
प्रमुख सचिव (राजस्व)
सचिव राजस्व/राजस्व आयुक्त
आयुक्त गढ़वाल मण्डल
अपर सचिव (राजस्व)
जिलाधिकारी
अपर जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
तहसीलदार
नायब तहसीलदार

(iii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में वित्तीय लेन-देन एवं प्राप्तियों की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 एवं 09/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 व 16, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

....शून्य...................................

भाग-II 'ब'

प्रस्तर-01 ₹ 27.67 लाख के शासकीय धन का अवरोधन।

वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-IV, भाग-I के प्रस्तर 162 के अनुसार शासकीय कोषागार से किसी भी मद के अन्तर्गत शासकीय धनराशि का आहरण तब तक नहीं किया जाना जाहिए जब तक उसके भुगतान/उपभोग की संभावना न हो।

कार्यालय जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग के नजारत अनुभाग के पंजिका संख्या-04 एवं संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि पंजिका में विभिन्न निर्माण कार्यों से संबंधित शासकीय कोष से आहरित धनराशि ₹ 27.67 लाख लेखापरीक्षा तिथि (05/2017) तक अप्रयुक्त पड़ी थी। धनराशियों का आहरण मार्च, 2000 से सितम्बर, 2011 तक किया गया जिन्हे वर्तमान तक न उपयोग किया गया और न ही शासन को समर्पित किया गया। विवरण निम्नवत् है-

क्रम सं.	मद का क्रम	आहरण तिथि	मद का विवरण	धनराशि (₹ लाख में)
1.	02/02/200	21.09.2000	पटवारी चौकियों के निर्माण की धनराशि	04.14
2.	05/08/19	21.10.2008	कोषागार भवन निर्माण की धनराशि	01.34
3.	13/12/146	09.02.2011	तहसील रुद्रप्रयाग के भवन निर्माण की धनराशि	06.66
4.	19/62	14.09.2011	कोषागार रुद्रप्रयाग के आवासीय भवनों के निर्माण की धनराशि	15.53
योग				27.67

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा भुगतान की कार्यवाही पर धनराशि संबंधित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जायेगा।

सम्प्रेक्षा में उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि धनराशि के आहरण किये लगभग 06 वर्ष से 17 वर्ष हो चुके हैं एवं कार्यों का पूर्ण न होना एवं भुगतान न किया जाना औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता है साथ ही बिना आवश्यकता के शासकीय धन का आहरण किया जाना वित्तीय नियमों का उल्लंघन है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II 'ब'

<u>प्रस्तरः2-</u> एक वर्ष से अवधि व्यतीत होने के बावजूद भी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न होना (रू0 295.25 लाख)।

जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग, द्वारा दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में क्रमशः (रू 400 लाख+1131 लाख=1530 लाख) की धनराशि विभिन्न विभिन्न विभागों को क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियां की मरम्मत हेतु अवमुक्त किये गये, किन्तु उपरोक्त धनराशि में वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष मात्र 104.75 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को प्राप्त हुए, इस प्रकार रू 295.25 लाख की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को एक वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी प्राप्त नहीं हुए थे।

इकाई का ध्यान इस ओर इंगित किये जाने पर उत्तर दिया गया कि सम्बन्धित विभागों को सूचित किया गया है।

उत्तर मान्य नही है, क्यो कि जिस वर्ष राशि अवमुक्त की गयी थी (उसी वर्ष) नियमानुसार 45 से 60 दिन के अन्दर कार्य पूर्ण कर उपयोगिता प्रमाण पत्र जिलाधिकारी को उपलब्ध कराये जाने चाहिए थे।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	प्रस्तर का विवरण
सा.क्षे./ले.प.प्रति.-36/2012-13	-	01	<u>भाग-II 'ब' प्रस्तर-01</u> शासकीय धन को अवरूद्ध रखा जाना।
सा.क्षे./ले.प.प्रति.-08/2015-16	-	02	<u>भाग-II 'ब' प्रस्तर-01</u> दैवीय आपदा मद में ₹ 13.01 लाख का त्रुटिपूर्ण वितरण। <u>भाग-II 'ब' प्रस्तर-02</u> वर्ष 2014-15 में अवमुक्त धनराशि ₹ 150.00 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न कराया जाना।

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य
2. सतत् अनियमितताएः शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कब से	कब तक
1.	डॉ. राघव लंगर	जिलाधिकारी	15.10.2013	06.12.2016
2.	श्रीमती रंजना	जिलाधिकारी	07.12.2016	16.05.2017
3.	श्री मंगेष घिल्डियाल	जिलाधिकारी	17.05.2017	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार (सामान्य क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र